निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (नियोजन) बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2014 को राज्य के नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही:–

निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (नियोजन) बिहार पटना की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2014 को राज्य के नियोजन पक्ष के पदाधिकारियों के साथ बैठक प्रारम्भ करने के पूर्व सभी पदाधिकारियों का परिचय लिया गया। इसके बाद पिछली बैठक 04.03. 2014 की कार्यवाही का अनुपालन पढ़कर सुनाया गया।

1. **योजना** :	
(i) नियोजन सेवा का विस्तार	(i) निदेशक महोदय ने कहा कि नियोजन सेवा के विस्तार से क्या तात्पर्य है ? उत्तर में सभी नियोजन पदाधिकारियों द्वारा आठ बिन्दुओं पर चर्चा की। जिसमें नियोजन मेला, निःशक्त जनों को विशेष नियोजन सहायता, कैरियर सूचना केन्द्र तथा उपस्कर क्रय शामिल था। श्री सुधांशु शेखर त्रिपाठी, उप निदेशक (नियोजन), मगध प्रमण्डल, गया ने चर्चा के दौरान बताया कि नियोजन मेला एक सफल कार्यक्रम है। कैरियर सूचना केन्द्र भी काफी हद तक सफल हुए है। पटना में इनके तहत चलाये जा रहे कोचिंग में 54 अभ्यर्थी सिविल सेवा के लिए चयनित हुए थे। निःशक्त जनों के नियोजन सहायता केन्द्र की योजना के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है तथा निःशक्त जनों को इनके कानूनी एवं रियायती अधिकारों के बारे में बताया जाता है। जैसे–रेलवे की रियायती टिकट एवं अन्य जागरूकता कार्यक्रम। निदेशक महोदय ने इन्हें अपने कार्यरत स्थल गया में भी सी0आई0सी के तहत कोचिंग चलाने की आवश्यकता के बारे में पूछा और गया में कोंचिग चलाने का प्रस्ताव भेजने का निदेर्श दिया गया।
(ii) निःशक्त जनों के लिए निबंधन आँकड़ा	(ii) निदेशक महोदय के द्वारा जिलावार निःशक्तों की संख्या की जानकारी माँगी तो कोई भी जिला नियोजन पदाधिकारी/उप निदेशक पंजीकृत निःशक्तों की संख्या नहीं बता सके। सभी जिला को निदेश दिया गया कि Categorywise निःशक्त जनों की संख्या, नाम एवं पता जिला स्तर पर संधारित किया जाता है, इसका प्रतिवेदन अगली मासिक बैठक 03.06.2014 के पूर्व भेजना सुनिश्चित करें।
(iii) आगामी कार्य योजना	(iii) सभी जिला को यह भी निदेश दिया गया कि अगले एक साल की कार्य योजना तैयार कर भेजें। इस कार्य योजना के अनुसार ही जिला को आवंटन दिया जाएगा। जून के प्रथम सप्ताह में सभी जिला को आवंटन भेजा जाना है। इसी सिलसिले में निदेशक महोदय द्वारा सभी उप निदेशक को निदेश दिया कि 30.05.2014 को सभी उप निदेशक अपने क्षेत्राधीन सभी जिला नियोजनालयों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर एक जिलावार प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को 03.06. 2014 की बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। इसकी सूचना निदेशालय को जून के प्रथम सप्ताह में भेजना सुनिश्चित करेंगे। पैसा खर्च करने के लिए एक पूर्व निर्धारित योजना होने चाहिए। गरीब राज्य के पास कम पैसा में अधिक उपलब्धि का लक्ष्य होना चाहिए। सभी उप निदेशक को यह निर्देश दिया गया कि कार्य योजना का कैलेन्डर बनाना एवं छापना सुनिश्चित करें। उप निदेशक (मुख्यालय) ने सभी नियोजन पदाधिकारियो को निर्देश दिया कि उनकी समीक्षा के बाद ही जिलावार, योजनावार, माहवार कार्यो का Road Map तैयार करने का कार्य जिला नियोजन पदाधिकारी कर सकेंगे। कार्ययोजना के कैलेन्डर सी0डी0 के साथ लाना है तथा प्रोजेक्टर पर प्रदर्शित करना है।
(iv) प्रशिक्षण	(iv) अगर नियोजन पदाधिकारियों को कुशलतापूर्वक कार्य के लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत है, तो इसके बारे में भी बताया जाना चाहिए। राज्य स्तरीय, प्रमण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय Confernece आयोजित किए जायें। विशिष्ट वक्ताओं का पैनल बनाया जाय।
(v) कौशल विकास योजना	(v) उप निदेशक, मगध प्रमण्डल, गया ने बताया कि नियोजन पदाधिकारियों के पास वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण एरिया स्कील सर्वे असफल हो जाता है। पचायत, प्रखंड, एवं अनुमंडल में जाने के लिए कम से कम

	सप्ताह में 3 से 4 दिन उपलब्ध कराया जाय। Vehicle के व्यय हेतु उपबन्ध कार्यालय को 7 (सात) दिनों के लिए वाहन का Outsourcing हेतु। प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार कर कार्ययोजना का CD के साथ अगली बैठक में उपस्थित हों। बैठक के दौरान अपने–अपने कार्यालयों का Presentation प्रस्तुत करना होगा। Skill Mission के लिए Work shop का Time & date intimate करना है। उप निदेशक स्तर पर कार्यों का Monitering हो एवं प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए। निदेशक द्वारा वाहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया। कौशल विकास योजना के तहत 2 लाख 25 हजार बेरोजगारों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाने की योजना थी, लेकिन अभी तक किसी भी जिला से कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।
(vi) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता	(vi) नियोजन पदाधिकारियों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की यू0जी0सी0 या अन्य सक्षम बोर्ड की मान्यता से संबंधित सवाल पूछे गये। इसके अलावे निदेशालय स्तर पर प्रशिक्षण के लिए बड़ी–बड़ी कम्पनियों का Expression of interest को आमंत्रित किया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों की उदासीनता की भी बात कही गयी है। उप निदेशक (मुख्यालय) द्वारा इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि संस्थान की मान्यता पर ध्यान न देकर उनकी प्रशिक्षण देने की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बड़ी–बड़ी कम्पनियों को बुलाने की योजना भविष्य में है। फिलहाल व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से ही काम करना हैं। पंचायत, प्रखंड में जाकर प्रचार प्रसार करना है तथा संभव हो तो स्थानीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को ही Preference दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को इसके लिए उचित मानदेय दिये जाने पर विचार किया जायेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के निबंधन की जाँच निदेशालय नियोजन, पटना से होगी।
(vii)ऑफिसर एव स्टॉफ की कमी	(vii)उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा ने बताया कि नियोजनालय गोपालगंज एवं सिवान में एक भी ऑफिसर पूर्णतः प्रभार में नहीं हैं, तथा अधीनस्थ स्टॉफ की भी कमी है। इसकी विस्तृत जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी, पूर्णियां को दी गयी। पूर्णियां के नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं रहने के कारण कम्प्यूटर चलाने में काफी कठिनाई हो रही है। उप निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा द्वारा यह बताया गया कि उप निदेशक कार्यालय हेतु तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग के पद स्वीकृत ही नहीं हैं। उन्हें निदेश दिया गया कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित कर्मियों में से 01 तृतीय वर्ग एवं 01 चतुर्थ वर्ग के कर्मी को अपने कार्यालय हेतु प्रतिनियुक्त कर इसकी सूचना निदेशालय को अविलम्ब दें।
(viii) कार्यालय बंद रहने का कारण	(viii) निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा दिनांक 20.05.2014 को नियोजनालय, मोतीहारी भ्रमण के दौरान कार्यालय बंद रहने का कारण पदस्थापित नियोजन पदाधिकारी से पूछा गया तथा यह हिदायत दिया गया कि कार्यालय रोजना खोलने को सुनिश्चित किया जाय एवं नियोजन पदाधिकारी को कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया।
(ix) कम्प्यूटर, स्कैनर एवं इन्टरनेट के संबंध में	(ix) लखीसराय, जमुई, आरा में ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होने की बात कही गयी। शेखपुरा में स्कैनर नहीं है। सुपौल तथा कैमुर में कम्प्यूटर एवं स्कैनर नहीं है। शिवहर में कम्प्यूटर नहीं है। निदेशक महोदय द्वारा नियोजन पदाधिकारियों को अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रॉडबैंड स्थापित कराने का निदेश दिया गया।
(x) बिजली की कमी	(x) आरा में बिजली का कनेक्शन नहीं है। पिछला बिजली का बकाया होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया हैं सुपौल तथा भागलपुर वि0वि0नि0सू0 केन्द्र में बिजली नहीं है।

	इन्हें निदेशक महोदय द्वारा एक सप्ताह में बिजली का कनेक्शन लेने का निदेश दिया गया।
(xi) यात्रा भत्ता	(xi) मुंगेर के नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि 2012 से अब तक यात्रा भत्ता नहीं मिला है। इसका आवंटन भी नहीं है। निदेशक महोदय द्वारा आदेश दिया गया कि यात्रा भत्ता उसी महीने के वेतन के साथ मिल जाना सुनिश्चित किया जाय।
(xii) वेतन का भुगतान	(xii) सुपौल के नियोजन पदाधिकारी ने बताया उन्हें अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। भविष्य निधि अभी तक वित्त विभाग में नहीं भेजे जाने के कारण बिलम्ब हो रहा है। अपर निदेशक द्वारा अपने स्तर पर इसका निस्तारण करने का निदेश दिया गया।
(xiii) कार्यालय हेतु भवन	(xiii) पूणियां में कार्यालय निजी भवन में चल रहा है। पहले किराया 890 रू0 तय था परन्तु किराया बढ़ाकर 3780 रू0 दिया गया। परन्तु 01.01.2010 को विभाग द्वारा 2805 रू0 स्वीकृत हुआ। जिसके कारण किराया का भुगतान लंबित है। बाँका में एक ही कमरा में तीन कार्यालय कार्यरत है। अतिरिक्त कमरा चाहिए। आई0टी0आई0, प्रचार्य बाँका से संपर्क कर कमरा देने के लिए अनुरोध किया गया, परन्तु जिला अधिकारी का आदेश चाहिए। शेखपुरा में कार्यालय जर्जर हालत में है। जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा यह बताया गया कि उनके कार्यालय के लिए अलग भवन की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान भवन के मकान मालिक द्वारा मकान खाली करने अथवा किराया बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और वर्तमान भवन में संगीत एवं डांस स्कूल खुल जाने के कारण काफी शोरगुल होता है। जिससे कार्य में परेशानी होती है। निदेशक महोदय ने आदेश दिया कि अगर सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हो तो उचित किराया निर्धारित कराकर निजी भवन में किराया पर कार्यालय लेने के लिए निदेश दिया गया।
(xiv) Model Employment Exchange के लिए सुझाव	(xiv) सभी उप निदेशक अपने अपने क्षेत्राधीन नियोजनालयों में से चुनाव कर गुणवता पूर्ण Model Employment Exchange के रूप में विकसित करने हेतु शीघ्र प्रस्ताव देने के लिए कहा गया।
(xv) ई0एम0आई0 से संबधित प्रतिवेदन	(xv) बैठक के दौरान सभी नियोजनालयों के द्वारा भेजे जाने वाले मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक तथा द्विवार्षिक प्रतिवेदनों की गहन समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि प्रायः सभी नियोजनालयों के ई0एम0आई0 के प्रतिवेदन लंबित हैं। निदेशक द्वारा काफी गंभीरता से इस मामले की समीक्षा करने के लिए कहा गया एवं इसका निदान तुरन्त करने का निदेश दिया गया। पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि किसी भी कार्यालय में कनीय सांख्यिकी सहायक पूर्व में पदस्थापित नहीं थे, इसलिए प्रतिवेदन समय पर नहीं भेजा जा सका है। लेकिन अब कई जगहों पर खासकर प्रमण्डल स्तरीय कार्यालयों में कनीय सांख्यिकी सहायक पदस्थापित हैं। समीक्षा के क्रम में पदाधिकारियों द्वारा लंबित प्रतिवेदन भेजने हेतु तिथि तय कर निम्न प्रकार बताया गयाः– जमुई– मई अंत तक, लखीसराय–मई अंत तक, खगडिया–03 जून तक, मुंगेर–03 जून तक, किशनगंज–मई अंत तक, बाँका–15 जून तक, आरा–07 जून तक, बेगुसराय–बैठक के दिन, मोतीहारी–20 जून तक, नवादा–07 जून तक, गया–24 मई तक, बक्सर–जून अंत तक, भागलपुर–15 जून तक, बेतिया–07 जून तक, छपरा–30 मई तक, दरभंगा–मई अंत तक, गोपालगंज–15 जून तक, कटिहार–मई अंत तक, मुजफ्फरपुर–मई अंत तक, मधुबनी–मई अंत तक, सुपौल–मई अंत तक, सिवान–03 जून तक। उप निदेशक, पटना प्रमण्डल को निदेशक द्वारा यह निदेश दिया गया कि वे अपने कार्यालय में पदस्थापित दक्ष कर्मियों को जिला नियोजनालय, भोजपुर आरा में प्रतिनियुक्त कर लंबित ई0एम0आई0 प्रतिवेदनों को दिनांक 07.06.2014 तक तैयार करवाना सुनिश्चित करें।

सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपना निरीक्षण प्रतिवेदन/ आज के बैठक की कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन विहित प्रपत्रा में तैयार कर **दिनांक 03.06.2014** तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये। ताकि सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा सके।

अगली विभागीय समीक्षात्मक बैठक दिनांक–03.06.2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में होगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई संपन्न की गई।

30.5.14

(श्रवण कुमार पंसारी)
अपर निदेशक (नियोजन)
निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–2/यो0–5023/2008– पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, श्रम संसाध्न विभाग, बिहार, पटना के प्रधन आप्त सचिव एवं निदेशक के सचिव नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सभी उप निदेशक (नियोजन), मुख्यालय सहित/ सभी सहायक निदेशक (नियोजन) / सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/ सभी नियोजन पदाधिकारी (वि0 वि0 नि0 सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
3. निदेशालय नियोजन स्थित सभी पदाधिकारी / सभी सहायक / सभी लिपिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

30.5.14

अपर निदेशक (नियोजन)
निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–2/यो0–5023/2008–435 पटना–15, दिनांक– 30.05.14

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रषित ।

30.5.14

अपर निदेशक (नियोजन)
निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना ।

Umesh sir 34